भारत सरकार,
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक- 31 अक्टूबर 2007

कार्यालय- ज्ञापांक

विषय :- 20 वर्ष पहले घटित घटना/वृतांत/ विषय से संबंधित सूचना का खुलासा।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (अधिनियम) की धारा 8 का धारा (3) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि ''उपधारा (1) के खंड (क) (ग) और खंड (ज्ञ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी घटना, वृतांत या विषय से संबंधित कोई सूचना, जो उस तारीख से, जिसको धारा- ... अधीन कोई अनुरोध किया जाता है, बीस वर्ष पूर्व घटित हुई थी, या हुआ था, उस धारा के अधीन अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जायेगी। इस विभाग में ऐसे संदर्भ प्राप्त हुए है, जिनमें यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार सभी रिकार्डो को 20 वर्ष की अवधि से अधिक समय के लिए सुरक्षित रखा जाना अपेक्षित है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी सूचना का अधिकार अच्छे शासन की मास्टर कुंजी शीर्षक वाली अपनी पहली रिपोर्ट में फाईलों की प्रतिधारण अनुसूची के संदर्भ में उपर्युक्त प्रावधान की व्यख्या के बारे में आशंका व्यक्त की है ।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम रिकार्ड प्रतिधारण अनुसूची निर्धारित नहीं करता रिकार्डो का प्रतिधारणा संबद्ध लोक प्राधिकरण में लागू रिकार्ड प्रतिधारण अनुसूची के अनुसार किया जाना अपेक्षित है। स्मरणीय है कि किसी फाइल या रिकार्ड को नष्ट करने से उस फाइल या रिकार्ड में समाहित सभी सूचनाएं नष्ट नहीं हो जातीा यह संभव हे कि फाइल में सृजित सूचना, फाईल के नष्ट किए जोन के बाद भी कार्यालय ज्ञापन या पत्र अथवा किसी अन्य रूप में उपलब्ध रहे। अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार इस प्रकार उपलब्ध जानकारी को 20 वर्ष के व्यपगत हो जोने के बाद प्रस्तुत करना अपेक्षित है, भले ही ऐसी सूचना को धारा 8 की उप धारा (1) के अन्तर्गत प्रकट करने से छूट दी गई हो । आशय यह है कि ऐसी सूचना जिसे अधिनियम की धारा-8 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रकट करने से छूट प्राप्त है, ... से संबंधित घटना के घटित होने के 20 वर्ष के बाद प्रकट करनी होगी। तथापि निम्नलिखित प्रकार की सूचना के प्रकटीकरण पर प्रतिबंध बना रहेगा और 20 वर्षो के व्ययगत होने के बाद भी ऐसी सूचना किसी नागरिक को देने की कोई बाध्यता नहीं होगी ।

1. सूचना जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पडता किसी अपराध को करने का उधीपन होता हो,
2. सूचना जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधान मंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा, अथवा
3. अधिनियम की धारा 8 की उप धारा (1) के खंड (1) के परंतुक में दी गयी शत्तों के अधीन मंत्रिपरिषद सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सहित मंत्रिमंडलीय कागजात ।
4. इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए ।

ह०/-
(कृष्ण गोपाल वर्मा,)
निदेशक